

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
विविध बैंक प्रकरण संख्या 42 / 2025(GCMS : 2025/48)


आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड, 201, 202 द्वितीय तल साउथ एण्ड स्कवायर
मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर 302020 स्थानीय शाखा नजदीक
राजस्थान पत्रिका मार्ग, आईसीआईसीआई के ऊपर शिव चौक, सूरतगढ़
रोड, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रेम सुथार

बनाम

1. बलराम पुत्र श्री मनफूल राम निवासी हाउस नं. 190, वार्ड नं. 07, ग्राम पंचायत 2 केएलडी, पंचायत समिति घड़साना तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335707 अन्य पता पट्टा नं. 79, बुक संख्या 38, ग्राम पंचायत 2 केएलडी, पंचायत समिति घड़साना, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335707
2. रोशनी देवी पत्नी श्री बलराम निवासी हाउस नं. 190, वार्ड नं. 07, ग्राम पंचायत 2 केएलडी, पंचायत समिति घड़साना, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335707
3. बलवंत राम पुत्र श्री खेतपाल निवासी वार्ड नं. 07, नजदीक सरकारी स्कूल, मण्डी 365 हैड, ग्राम पंचायत 2 केएलडी, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335707
4. अमरचंद पुत्र श्री मांगी लाल निवासी वार्ड नं. 04, नई मण्डी 365 हैड, ग्राम पंचायत 2 केएलडी, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर(राज.) पिन नं. 335707

23.04.2025


पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री योगेन्द्र कुमार मूण्ड ने एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 28.01.2025 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण बलराम, रोशनी देवी, बलवंत राम एवं अमर चंद को ऋण सुविधा के रूप में 10.00/- लाख रुपये ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 20.10.2024 को 6,43,475/- रुपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी बलराम द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 79, बुक संख्या 38, ग्राम पंचायत 2 केएलडी, पंचायत समिति घड़साना, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335707, जिसके उत्तर दिशा में रास्ता, दक्षिण दिशा


जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर



में श्रवण कुमार बिश्नोई, पूर्व दिशा में चावली देवी /मनफूल, पश्चिम दिशा में रूकम देवी/मनीराम सुथार है, जिसका साईज 277.77 वर्गगज है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण बलराम, रोशनी देवी, बलवंत राम एवं अमरचंद को ऋण सुविधा के रूप में अनुबंध संख्या LNRSN00616-170031693 दिनांक 06.08.2016 को 6.00/- लाख रुपये एवं LANG01817-180069135 दिनांक 12.03.2018 को 4.00/- लाख रुपये कुल 10.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये दस लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की थी और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी बलराम ने अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 79, बुक संख्या 38, ग्राम पंचायत 2 केएलडी, पंचायत समिति घडसाना, तहसील घडसाना, जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335707, जिसके उत्तर दिशा में रास्ता, दक्षिण दिशा में श्रवण कुमार बिश्नोई, पूर्व दिशा में चावली देवी/मनफूल, पश्चिम दिशा में रूकम देवी/मनीराम सुथार है, जिसका साईज 277.77 वर्गगज है, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 09.07.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण अमरचंद एवं बलवंत राम को धारा 13(2) के नोटिस की तामील नहीं हुई है।


जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी बलराम की अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 79, बुक संख्या 38, ग्राम पंचायत 2 केएलडी, पंचायत समिति घडसाना, तहसील घडसाना, जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335707, जिसके उत्तर दिशा में रास्ता, दक्षिण दिशा में श्रवण कुमार बिश्नोई, पूर्व दिशा में चावली देवी/मनफूल, पश्चिम दिशा में रूकम देवी/मनीराम सुथार है, जिसका साईज 277.77 वर्गगज है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 22.10.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 22.10.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 23.10.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण बलराम एवं रोशनी देवी को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है परन्तु अप्रार्थीगण अमरचंद एवं बलवंत राम को 13(2) के नोटिस प्राप्त नहीं हुए है इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 30.10.2024 को अप्रार्थीगण के निवास पर चस्पा कर, दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 07.11.2024 को प्रकाशित करवाया है।

(Mansu)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी बलराम द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी बलराम द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 79, बुक संख्या 38, ग्राम पंचायत 2 केएलडी, पंचायत समिति घडसाना, तहसील घडसाना, जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335707, जिसके उत्तर दिशा में रास्ता, दक्षिण दिशा में श्रवण कुमार बिश्नोई, पूर्व दिशा में चावली देवी/मनफूल, पश्चिम दिशा में रूकम देवी/मनीराम सुथार है, जिसका साईज 277.77 वर्गगज है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर